राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक न.10(3)राज-6/2001/3 जयपुर, दिनांक 11.1.2013

समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।

परिपत्र

राजस्थान भू- राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुएं खोदने और पम्प लगाने के लिए भूमि आवटंन) नियम 1979 के नियम 12-क के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा अपनी कृषि भूमि के सिंचाई प्रयोजनार्थ राजकीय सिवायचक या चारागाह भूमि पर खोदे गये कुऐं, ट्यूबवेल तथा स्थापित पम्पिग सेट की भूमि को नियमन किये जाने के प्रावधान प्रभावी है।

इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 10(3)राज-6/2001/7 दिनांक 25-04-2011 से चारागाह भूमि के निजी अथवा व्यावसायिक उपयोग के लिए रोक लगाई गई है। उक्त रोक से चारागाह भूमि में स्थित खोदे गये कुओं, ट्यूबवेल तथा पम्पिंग सेट की भूमि का नियमन संभव नही हो पा रहा है। कतिपय जिला कलेक्टरों ने उक्त समस्या के सम्बन्ध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन चाहा है।

उपरोक्त कठिनाइयों के निवारण हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाकर यह निर्णय लिया गया है कि निम्न शर्तो पर चारागाह भूमि में खोदे गये कुओं, ट्यूबवेल एवं पम्पिंग सेट की भूमि के नियमन की कार्यवाही करावें:-

1. चारागाह भूमि पर बना हुआ कुआँ अथवा पम्प सैट 5 वर्ष या इससे अधिक पुराना हो, तथा इस संबंध में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य हो ।
2. यदि कुआँ/पम्प सेट का निर्माण सिंचाई प्रयोजनार्थ किया गया है, तो उन्हीं मामलो में नियमन किया जावे, जिसमें चारागाह भूमि खातेदार कृषक की खातेदारी भूमि से लगती हुई हो।
3. नियमन से पूर्व यथा संभव यह भी सुनिश्चित किया जावे कि कुआँ अथवा पम्प सेट चारागाह की सीमा पर स्थित हो अर्थात् बिल्कुल चारागाह के बीच में स्थित नही हो, जिससे कि अतिक्रमण होने की संभावना नही बढ़े।
4. चारागाह भूमि की यथा संभव क्षतिपूर्ति की जावें।
5. राजस्थान भू-राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुएं खोदने और पम्प लगाने के लिए भूमि आवटंन) नियम 1979 में वर्णित नियमों का पूर्णतया: पालन किया जावे।

आज्ञा से

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक माननीय राजस्व मंत्री महोदय।
3. उप सचिव, माननीय मुख्य सचिव महोदय राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. संभागीय आयुक्तगण (समस्त) राजस्थान।
6. निदेशक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
7. आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर।
8. समस्त उपशासन सचिवगण, राजस्व विभाग।
9. गार्ड फाईल।

शासन उप सचिव